न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी: अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—49 / 2024 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

— प्रार्थी

बनाम

1. लादूलाल पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी जवाहर नगर भीलवाड़ा

— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता —

1. पैरोकार सरकारः— प्रार्थी
2. श्री श्यामलाल वैद :— अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 07/11/25

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा दिनांक 29.11.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया जो बाद जांच प्रकरण संख्या 49 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार की अंतरिम बहस सुनी जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.11.2024 को जारी की जाकर अप्रार्थीगण की वास्ते तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः—

ग्राम पुर पटवार मण्डल पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में स्थित खसरा नम्बर 10636 / 4222 रकबा 0.2997 हैक्टयर कुल किता 01 रकबा 0.2997 हैक्टयर राजस्व रिकॉर्ड में लादूलाल पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई सा0 जवाहर नगर भीलवाड़ा खातेदार के नाम खातेदारी दर्ज है।

आवेदक अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे तहत बहुत ही ठोस एवं सबल आधारों पर प्रस्तुत कर दिया गया है। जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी आशा है।

उक्त वर्णित कृषि भूमि खातेदारीशुदा सम्पदा है। जिनको पक्षकार द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति में अकृषि कार्यों में उपयोग में ली जा रही है।

उक्त वर्णित कृषि भूमि को सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति बिना अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है। अप्रार्थी को विवादित भूमि पर बिना सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति के किसी भी प्रकार से खुर्द—बुर्द कर मौका सूरत व राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने या अन्य किसी भी प्रकार से बेचान एवं हस्तांतरित कर उपयोग—उपभोग से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रथम दृष्टया केस, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे की प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को खुर्दबुर्द करने, अन्यत्र बेचान करने, उपयोग करने से बाज रहे। वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का अस्थाई / स्थाई निर्माण ना करे, वादग्रस्त कृषि भूमि की प्रकृति व उपयोग में बदलाव न करे। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से दिनांक 16.01.2025 को वकालतनामा श्री श्यामलाल वैद का पेश किया गया, जो शामिल फाईल किया गया।

पैरोकार सरकार द्वारा मूलवाद में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का जवाब पेश किया गया जिसका मूलवाद में निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर दिनांक 20.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

07/11/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षी की ओर से दिनांक 15.10.2025 को प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार है:-

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 स्वीकार है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 स्वीकार नहीं। क्योंकि प्रार्थनापत्र में वाद हेतुक कहीं पर भी अंकित नहीं है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थनापत्र की वाद हेतुक के अभाव में गणना कब से की जावें उक्त नितांत ही कठिन है। इस कारण प्रार्थी का सम्पूर्ण मामला निर्धारित परिसीमा में नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 03 सर्वथा गलत है। विपक्षी द्वारा अकृषि कार्य कब से उपयोग में लिया जा रहा है, केवल हवा में तीर चलाया है। आरोप लगाने वाले को ठोस एवं पुख्ता आरोप लगाना चाहिये । अस्पष्ट एवं मांगम तथ्यों के अभाव में मामला सारहीन है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 04 सर्वथा निराधार है व अस्पष्ट व मोगम होने से मामला आधारहीन है। अलबता विपक्षी के द्वारा अपनी कृषि भूमि में निर्माण कार्य वर्ष 2017 से शुरू कर 10 अक्टूबर 2018 में समाप्त कर दिया था। इस निर्माण के लिये सक्षम अधिकारी जी के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत कर रखी है, जो विचाराधीन है। वर्ष 2017 से अक्टूबर 2018 तक किये गये निर्माण संबंधी दस्तावेज सूची दस्तावेज के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जा रहे है । इस प्रकार प्रार्थी द्वारा कोई वाद हेतुक अपने प्रार्थनापत्र में उल्लेख नहीं किये जाने व पुख्ता रुप से दिनांक 10/10/2018 तक निर्माण कार्य समाप्त हो जाने के कारण यह मामला निर्धारित परिसीमा में न होकर कालातीत होने से खारिज होने योग्य है ।

विशेष कथन

प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में विपक्षी की खातेदारी हक के कितने भू भाग में पक्का निर्माण कब से किया हुआ है और शेष भाग में काश्त हो रही है या नहीं या सम्पूर्ण भाग में काश्त नहीं हो रही है। ऐसा अस्पष्ट व मोगम अभिकथन होने से प्रार्थी को मलीन हाथों से अपना मामला न्यायालय के पटल पर भ्रमित करने से व तथ्यों का छिपाव करके पेश किया है, जो सर्वथा अनुचित है। मामला प्रार्थी का खारिज होने योग्य है ।

जवाब की पुष्टि में विपक्षी लादूलाल पिता रामचंद्र विश्नोई, उम्र वयस्क, निवासी जवाहर नगर, भीलवाडा का शपथपत्र पेश है ।

अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावें ।

पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया एवं उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है :-

1. प्रथम दृष्टया मामला:-

2. सुविधा का संतुलन :-

3. अपूरणीय क्षति :-

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं का पत्रावली का गुणवतापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा व्यवसायिक दुकाने, सर्वीस सेंन्टर व होटल बनाकर पक्का निर्माण किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कृषि प्रयोजनार्थ स्वयं की खातेदारी भूमि को बिना किसी प्रकार की स्वीकृति और सक्षम स्तर से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना मौके का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है, जिसके विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत हानिकारक कार्य या शर्त भंग के लिए बेदखली किये जाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा मौके पर किये जा रहे अकृषि कार्यों की पुष्टि हेतु प्रार्थी द्वारा मौके के फोटोग्राफ, मौका रिपोर्ट एवं मौका पर्चा प्रस्तुत किया गया है। जिनसे यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। अतः बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग लिया जाने से प्रार्थी/भूमिधारी तहसीलदार भीलवाड़ा के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु बखूबी प्रमाणित होता है।

07/1/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि में कृषि प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य वर्ष 2017 में प्रारम्भ किया जाकर वर्ष 2018 में पुर्ण कर लिया गया था। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण सामग्री कय किये जाने के बिल बाउचर, विकेता को भुगतान किये जाने संबंधी रसीदे तथा स्वयं के बैंक खाते की पासबुक की प्रति पेश की है जिससे यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वर्ष 2017 में मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाकर 2018 में निर्माण कार्य पुर्ण कर लिया गया था। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूची के बिन्दु संख्या 67 के अनुसार विदित समय सीमा 3 वर्ष की अवधि से अधिक पुर्ण होने के कारण प्रार्थी तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के द्वारा संबंधित नगरीय निकाय नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में स्वयं की खातेदारी ग्राम पुर की आराजी संख्या 10636/4222 रकबा 0.2997 हैक्टयर भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। उक्त आवेदन में खातेदार द्वारा 10 प्रतिशत प्रिमियम राशि 38338 रूपये का भुगतान नगर विकास न्यास के पक्ष में किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उद्देश्य पुर्ण हो जाता है, क्योंकि अप्रार्थी के द्वारा सक्षम स्तर पर स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम पुर की वादग्रस्त आराजी संख्या 10636/4222 रकबा 0.2997 हैक्टयर के संपरिवर्तन हेतु आवेदन किया हुआ है और नगर विकास न्यास द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में स्थगन आदेश का अंकन होने से प्रार्थी की खातेदारी भूमि का रूपान्तरण आदेश प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अतः राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप वादी वादग्रस्त भूमि का सक्षम स्तर से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाने हेतु तैयार हो और इस हेतु सक्षम स्तर पर आवेदन भी किया हुआ है। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा ग्राम पुर की वादग्रस्त भूमि 10636/4222 रकबा 0.2997 हैक्टयर भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने की सहमति व्यक्त की गई है। यद्यपि अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि के आंशिक हिस्से पर ही अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने एवं आंशिक भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने से अंकन किया गया है और अपनी खातेदारी भूमि के सक्षम स्तर से संपरिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने का भी दस्तावेज मूलवाद में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में सफल रहा है। अतएव

—: आदेश :—

प्रार्थी तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.11.2024 को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। अप्रार्थी के द्वारा सक्षम स्तर से वादग्रस्त भूमि का रूपान्तरण करवये जाने पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार की मृत्यु होने की स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अनुसार विरासतीय आधार पर नामान्तरण /राजस्व रिकॉर्ड से अद्यतन किये जाने पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

07/11/26

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा